GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)
****

No. 2009/TG-I/20/P/Chart **New Delhi, dated 14.10.2015**

The Chief Commercial Managers,
All Zonal Railways.

(Commercial Circular No. 62 of 2015)

Sub: Preparation of reservation charts.

As per para 626 of Indian Railway Commercial Manual Vol. 1, reservation charts should be displayed at the main entrance of the station and/or on the platform from which the trains are scheduled to leave as early as possible but not less than 2 hours before the scheduled departure of train. To ensure this, instructions have been issued from time to time for timely preparation of reservation charts. A provision had also been made in the computerised PRS to extract the information regarding the locations where reservation charts have been prepared late. However, instances are still being brought to the notice of this office where reservation charts are being prepared late.

2. A proposal is under consideration of this office that after preparation of reservation charts, the facility of reserving available vacant accommodation in the train or to cancel the already booked ticket, which at present is available only at current counters of train originating station/identified road side station, up to a specified time before departure of train, shall be made available on internet and also at other PRS centers. With a view to ensure successful implementation of this scheme, it is desired as under:-

(i) Reservation charts of the trains should be prepared at least 4 hours before the scheduled departure of the train without fail. For this purpose, wherever required, the timings for release of emergency quota can be adjusted accordingly.

(ii) Zonal Railways should ensure that supplementary charts indicating the booking made after preparation of reservation charts and up to a specific time before departure of train should be invariably taken out and handed over to the train staff, if not being done earlier.

3. Necessary instructions may be issued to all concerned accordingly and compliance report indicating the implementation of the above said provisions should be sent to this office by 30.10.2015.

(Vikram Singh)
Director Passenger Marketing
Railway Board

Dell/B/my documents/LETTER/letter_2015

Copy to:

1. CCM/PMs and CCM/PSs, all Zonal Railways.
2. ADG/PR, EDV(T), EDFC, DF(C), OSD/TC, F(C) & V(SS) branches of Railway Board.
3. MD/IRCTC, B 148, 11th Floor, Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi - 110001
4. General Manager/PRS-I, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
5. Director General, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
6. The Principals, Zonal Railway Training Institutes, Central Railway/Bhusawal, Eastern Railway/Bhuli-Dhanbad, Northern Railway/Chandausi, East Central railway/Muzaffarpur, NF Railway/Alipurduar, Southern Railway/Trichy, South Central Railway/Moula Ali, SE Railway/Sini, North Western Railway/Udaipur.
7. Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Lucknow-2260011.
8. General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
9. General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
10. Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No. 370, Rail Bhawan, New Delhi.
11. Secretary General, Indian Railways Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
12. Secretary General, All India RPF Association, Room No. 256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
13. CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhawan, 33/1, J.L. Nehru Road, Kolkata-71.

*****

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)
*****

सं. 2009/टीजी-I/20/पी/चार्ट **नई दिल्ली, दिनांक 14.10.2015**

मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें।

(2015 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 62)

विषय: आरक्षण चार्ट तैयार करना।

भारतीय रेल वाणिज्यिक नियमावली वॉल्यूम-I के पैरा 626 के अनुसार आरक्षण चार्ट स्टेशन के मुख्य प्रवेश द्वार पर और/अथवा उस प्लेटफार्म, जहां से गाड़ियों का प्रस्थान होना है, पर यथा शीघ्र परन्तु गाड़ी के प्रस्थान से कम से कम 2 घंटे पहले लगाए जाने चाहिए। इसे सुनिश्चित करने के लिए, आरक्षण चार्टों को समय पर तैयार करने के लिए समय-समय पर अनुदेश जारी किए गए हैं। कंप्यूटरीकृत पीआरएस में उन स्थानों, जहां आरक्षण चार्ट विलंब से तैयार किए गए हैं, की सूचना प्राप्त करने का प्रावधान भी किया गया है । बहरहाल, इस कार्यालय के ध्यान में अभी भी ऐसे मामले लाए जा रहे हैं जहां आरक्षण चार्ट विलंब से तैयार किए जा रहे हैं।

2. इस कार्यालय में इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है कि आरक्षण चार्ट तैयार होने के पश्चात् गाड़ियों में उपलब्ध खाली स्थान को आरक्षित करने अथवा पहले से बुक की गई टिकट को रद्द करने की यह सुविधा, जो इस समय गाड़ी के प्रस्थान से विनिर्दिष्ट समय पहले तक गाड़ी के प्रारंभिक स्टेशन/चिह्नित छोटे स्टेशन के करंट काउंटरों पर ही उपलब्ध है, इंटरनेट पर और अन्य पीआरएस केन्द्रों पर भी उपलब्ध होगी। इस योजना के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से निम्नानुसार वांछा की जाती है:-

(i) गाड़ियों के आरक्षण चार्ट गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान से कम से कम 4 घंटे पहले अवश्य तैयार किए जाएं। इस प्रयोजन के लिए, जहां कहीं अपेक्षित हो आपातकालीन कोटा को रिलीज़ करने के समय को तदनुसार समायोजित किया जा सकता है।

(ii) क्षेत्रीय रेलें यह सुनिश्चित करें कि आरक्षण चार्ट तैयार किए जाने के बाद की गई बुकिंग को दर्शाने वाले अनुपूरक चार्ट गाड़ी के प्रस्थान से निश्चित समय पहले अवश्य निकाले जाने

...2/-

RESERVATION

चाहिए, यदि पहले ऐसा न किया जा रहा हो और गाड़ी में तैनात कर्मचारी को सौंपा जाना चाहिए।

3. तदनुसार सभी संबंधितों को आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएं और अनुपालन रिपोर्ट, जिसमें ऊपर उल्लिखित प्रावधानों के कार्यान्वयन का उल्लेख हो, 30.10.2015 तक इस कार्यालय को भेजी जाए।

(विक्रम सिंह)
निदेशक यात्री विपणन
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:

1) सीसीएम/पीएम और सीसीएम/पीएस सभी क्षेत्रीय रेलें।
2) एडीजी/पीआर, का नि सतर्कता(टी), का नि एफ (सी), निदेशक वित्त (सी), वि.का.अधिकारी/टी सी, वित्त (सी) और सतर्कता (एस एस) शाखाएं रेलवे बोर्ड।
3) प्रबंध निदेशक/आईआरसीटीसी, बी-148, 11वीं मंजिल, स्टेट्समैन हाउस, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली- 110 001.
4) महाप्रबंधक/पीआरएस-I, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
5) महानिदेशक, प्रोफेसर/ प्रशिक्षण तथा प्रोफेसर/ वाणिज्य, रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा।
6) प्रिंसिपल, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/भूली/धनबाद, उत्तर रेलवे/चंदौसी, पूर्वोत्तर रेलवे/ मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/ अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/ त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे/मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे/सिनी, पश्चिम रेलवे/ उदयपुर।
7) निदेशक, भारतीय रेल यातायात प्रबंधन संस्थान, हरदोई बाइपास रोड, मानक नगर, लखनऊ- 2260011
8) जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (एनएफआईआर), 3,चेम्सफोर्ड रोर्ड, नई दिल्ली।
9) जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली।
10) सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन, (फ्रोआ), कमरा नं 370, रेल भवन, नई दिल्ली।
11) सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी ऑफिसर्स फेडरेशन, (आईआरपीओएफ), कमरा नं 268, रेल भवन, नई दिल्ली।
12) सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं 256- डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
13) सीटीएम, मैट्रो रेलवे, मैट्रो रेल भवन, 33/1, जे एल नेहरू रोड, कोलकाता-71